न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1066/2026
महिला थानाकांड संख्या 39/22

देवनारायण ठाकुर.....आवेदक।
बनाम
बिहार राज्य

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री एफ.एल.दास, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री रघुनाथ विश्वास, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
वास्ते सूचिका :– श्री प्रदीप लाल दास, विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

02.09.2026 आवेदक देव नारायण ठाकुर, पिता–मुन्नर लाल ठाकुर, सभी साकिन–श्यामनगर, वार्ड नं0 15, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया, की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर BNSS की धारा–482(1) के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक–19.05.2026, जो महिला थानाकांड संख्या 39/22 के अंतर्गत धारा 498(ए), 494 भा0द0वि0 से संबंधित है, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चूकी है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। उक्त आवेदन पर उभय पक्षों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, सुचिका रूबी कुमारी के ससुर की मृत्यु हो चुकी है, सुचिका के पति सीओडी कानपुर उत्तर प्रदेश आर्मी में ओडिनेंस कोर में नौकरी करते हैं जो कि सुबेदार के पद पर हैं, और उनके दो बच्चे हैं। सुचिका के पति ने माला देवी से विवाह कर लिया है। सुचिका के पति ने असामीगण को फोन पर सुचिका एवं उसके बच्चे को मारने के लिए कहा। दिनांक 25.05.2022 को माला देवी ने सुचिका एवं उसके बच्चे के साथ जान से मारने के नियत से मारपीट किया और घर का कीमती सामान लुट लिया। पहले सुचिका के पति खाना पीना देते थे लेकिन अब वह भी नहीं देते और ससुर वाला संपत्ति से भी सुचिका को हटाने के लिए घटना करवाते हैं। पानी व बिजली भी कटवा दिए।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का लंबे समय से अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं है और उनके बीच संपत्ति का बंटवारा पहले हीं हो चुका है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं था लेकिन पुलिस ने झुठे आरोपों और रंजिश के कारण आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर दिया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक के विरूद्ध आरोप है कि उसने अपनी पत्नी एवं बच्चों को को जान से मारने के नियत से हमला करवाया। आवेदक सुचिका का पति है तथा दोनों पक्षों के बीच एकल एवं संयुक्त सत्र की मध्यस्थता हुई है तथा दोनों पक्ष पति–पत्नी के रूप में रहने को सहमत नहीं है। मध्यस्थता की रिपोर्ट अभिलेख पर है। दोनों पक्षों के बीच One Time Settlement हो गया है तथा Settlement के अनुसार 50 हजार रूपया सुचिका को दी जा चुकी है। आज न्यायालय में सुचिका रूबी देवी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ सदेह उपस्थित होकर कथन करती है कि आवेदक को जमानत देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

लगातार

लगातार
02.09.2026

<u>अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1066/2026</u>

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभू सहित बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तार होने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. की शर्तो के साथ आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि–

1– आवेदकगण का एक जमानतदार उसका रिश्तेदार होगा।
2– विचारण में सहयोग करेंगे।

(लेखापित)

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।